

न्यायालय:दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.क्रमांक-300088 / 2016

संस्थित दिनांक-27.06.2016

1-श्रीमती रसना पटेल उम्र-22 वर्ष, पति ओमप्रकाश पटेल

2-आयुष पटेल उम्र-3 वर्ष, पिता ओमप्रकाश पटेल,

दोनों जाति मरार, निवासी-छोटी कोनी,

थाना छोटी कोनी, तह. व जिला बिलासपुर छ.ग.

हाल मुकाम-ग्राम सालेवाड़ा

थाना व तह. बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

— — — — — **आवेदकगण**

// **विरुद्ध** //

ओमप्रकाश पटेल उम्र-27 वर्ष पिता रतिराम पटेल, जाति मरार,

निवासी-छोटी कोनी, थाना छोटी कोनी,

तह. व जिला बिलासपुर छ.ग.

— — — — — **अनावेदक**

// **आदेश** //

(आज दिनांक-30 / 06 / 2017 को पारित)

1- इस आदेश के द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 द.प्र.सं. दिनांक-27.06.2016 का निराकरण किया जा रहा है।

2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक ओमप्रकाश पटेल से दिनांक-28.04.2013 को जाति रीति रिवाज अनुसार ग्राम सालेवाड़ा में हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका अपने ससुराल ग्राम छोटी कोनी में जाकर निवास कर सुखी दांपत्य जीवन का निर्वहन करने लगी थी। अनावेदक के संसर्ग से आवेदिका क्रमांक-1 को पुत्र आयुष पटेल अनावेदक क्रमांक-2 उत्पन्न हुआ था। अनावेदक व उसके परिवारवालों ने विवाह के दो वर्ष तक आवेदिका को अच्छे से रखा था। उसके पश्चात् अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट करना चालू कर दिया था। अनावेदक व उसके परिवारवालों ने आवेदिका को उसके मायके जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अनावेदक एवं उसके परिवार के लोग कहने लगे थे कि उसके मायके वालों ने मन मुताबिक दहेज नहीं दिया। आवेदिका के मायके वाले अच्छा दहेज देते तो अनावेदक व्यवसाय करता। अनावेदक, आवेदिका से कहता था कि एक लाख रुपये और मोटरसाईकिल, दीवान पलंग लेकर आएगी तभी उसे वह रखेगा। आवेदिका का मंझला देवर शिवप्रकाश कहने लगा था कि उसके भाई की शादी ग्राम धूमा में करते तो वहां से

गाड़ी और जमीन जायदाद मिल जाती। अनावेदक ने एक दिन अपने साले दानेश्वर पालके को उसके घर बुलाया था और उसके सामने ही दहेज की मांग करने लगा था और आवेदकगण को दानेश्वर के साथ दिनांक-25.11.2015 को ग्राम सालहेवाड़ा भिजवा दिया था। इसके बाद भी अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अनावेदक ने आवेदिका को उसके मायके भेजने के बाद उसकी कोई खोज-खबर नहीं ली थी। आवेदिका स्वयं अपना तथा अपने पुत्र का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। आवेदिका एवं उसके पुत्र के भरण-पोषण का प्रतिमाह 12,000/-रुपये का खर्च आ जाता है। अनावेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि उसे भरण-पोषण राशि 7,000/-रुपये उसके पुत्र को 5000/-रुपये की भरण-पोषण राशि अनावेदक से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिलाई जावे।

3- अनावेदक दिनांक-09.02.17 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण उसके विरुद्ध उक्त दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

4- आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
2. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
3. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5- समस्त विचारणीय बिन्दु एक-दूसरे संबंधित हैं, साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6- आवेदिका रसना पटेल अ.सा.1 का कथन है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 28.04.2013 को ग्राम सालेवाड़ा में जाति रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। अनावेदक उसका पति है। अनावेदक एवं आवेदिका के संसर्ग से पुत्र आयुष पटेल उत्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् आवेदिका अपने ससुराल ग्राम छोटीकोनी अनावेदक की पत्नी बनकर चली गयी थी। आवेदिका, अनावेदक के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी थी। अनावेदक ने आवेदिका को दो वर्ष तक ठीक रखा था उसके बाद अनावेदक ने अपने परिवारवालों के साथ आवेदिका को मारपीट करना प्रारंभ कर दिया था। अनावेदक एवं उसके परिवारवाले आवेदिका को मायके में रहने के लिए मजबूर करने लगे थे। अनावेदक आवेदिका को मायके से मोटरसाईकिल लायेगी तभी रखेंगे कहते थे। आवेदिका का देवर शिवप्रकाश पटेल कहता था कि भाई ओमप्रकाश की शादी धूमा में

करते तो गाड़ी और जमीन जायजाद दोनों मिलते। आवेदिका की सास ने आवेदिका से मायके से पैसा लेकर आने को कहा एवं मारपीट की थी। इसके बाद आवेदिका ने उसके छोटे भाई धानेश्वर पालके को फोन लगाया। तब उसका छोटा भाई धानेश्वर उसके ससुराल आया तो उसके सामने ही दहेज की मांग करने लगे एवं आवेदिका के साथ मारपीट एवं लड़ाई करने लगे इसके बाद आवेदिका अपने भाई के साथ मायके ग्राम सालेवाड़ा आ गयी थी। आवेदिका की इस साक्ष्य का समर्थन तोषनलाल आ.सा.2 ने भी उसकी साक्ष्य में किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक की ओर से आवेदिका एवं उसकी साक्षी पर न तो कोई प्रतिपरीक्षण किया गया है न ही इस तथ्य का खण्डन किया गया है कि आवेदिका, अनावेदक की पत्नी नहीं है।

7— आवेदिका रसना आ.सा.1 ने अपने मौखिक कथन में यह अभिकथित किया है कि अनावेदक उसके साथ प्रतिदिन मारपीट कर अत्यधिक प्रताड़ित कर दहेज की मांग करने लगा था। आवेदिका को उसके मायके जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद आवेदिका की कोई खोज खबर नहीं ली थी। आवेदिका से उसके मायके से सोफा, पलंग, दीवान, मोटरसाईकिल लाने के लिए कहते थे। आवेदिका की सास ने आवेदिका से उसके मायके से पैसे लाने के लिए कहा था। आवेदिका के कथनों का समर्थन तोषनलाल आ.सा.2 ने भी उसकी साक्ष्य में किया है। यह साक्षी आवेदिका का पिता है। इस साक्षी का यह कहना है कि अनावेदक उसका दामाद है। आयुष पटेल उसका नाती है। अनावेदक आवेदिका से दहेज में एक लाख रुपये मांगता था और कहता था कि मोटरसाईकिल एवं दहेज का सामान लेकर आएगी, तभी उसको अपने पास रखेगा। उक्त दोनों साक्षीगण पर उक्त संबंध में अनावेदक की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अखण्डनीय हो जाती है। उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों ने आवेदिका को प्रताड़ित किया है और आवेदिका को उसके मायके में छोड़ दिया है तथा उसके भरण-पोषण में उपेक्षा की है।

8— आवेदिका के पास उसके एवं उसके पुत्र के भरण-पोषण का कोई साधन नहीं है। आवेदिका को खाना, कपड़ा, दवा इत्यादि के खर्च के लिए 7,000/- रुपये एवं पुत्र के खर्च के लिए 5,000/- रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता रहती है, जो अनावेदक देने में समर्थ है। अनावेदक साधन सम्पन्न, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है। अनावेदक के पास तीन एकड़ कृषि भूमि है। अनावेदक फर्नीचर की दुकान एवं कारपेंटर की दुकान चलाता है जिससे वह 30,000/-रुपये प्रतिमाह की आय प्राप्त कर लेता है। अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है। आवेदिका एवं उसके पुत्र का 12,000/-रुपये मासिक खर्च है। अनावेदक उक्त राशि आवेदिका एवं उसके पुत्र को देने में समक्ष हैं। आवेदिका रसना पटेल अ.सा.

01 के कथनों की पुष्टि साक्षी तोषनलाल अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में की है, किन्तु आवेदिका की ओर से अनावेदक की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

9— इस प्रकार आवेदिका की ओर से मौखिक साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि वह अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की उपेक्षा की है और आवेदिका के भरण-पोषण से इंकार किया है। आवेदिका के पास उसके एवं उसके पुत्र के भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है। आवेदिका अपना एवं अपने पुत्र का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। पत्नी के भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है तथा नाबालिग पुत्र के भरण-पोषण का दायित्व भी उसके पिता पर होता है, किन्तु अनावेदक ने बिना किसी कारण के आवेदिका व उसके पुत्र के भरण-पोषण की उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। पक्षकारों के रहन-सहन, वर्तमान समय की महंगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका को 1,500/—(एक हजार पांच सौ रुपये) एवं उसके पुत्र आयुष पटेल को 500/—(पांच सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करें तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 10 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

10— अनावेदक, आवेदिका का व्यय वहन करेगा।

11— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0